

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री....., राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र जिला/ मंडल ग्राम/ शहरके निवासी हैं जो समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक के संकल्प संख्या के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है* । श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा उनका परिवार सामान्यतया राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के जिला/ मंडल के निवासी हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/ 22/ 93-स्था(एससीटी) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।**

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

**समय-समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतया" का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कि धारा 20 में है।

Annexure

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..... son/daughter of Shriof village/town.....in District/Division in the State/Union Territory belongs to the community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. dated.....*. Shri/Smt./Kumari and/or his/her family ordinarily reside(s) in the District/Division of the State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner, etc.

Dated:

Seal

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

घोषणा / DECLARATION

“मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी ग्राम/कस्बा/शहर _____ जिला _____ राज्य _____

एतद्वद्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं _____ समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय - ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार वद्वारा एक पिछडे वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।”

I, _____ son/daughter of Shri _____ resident of Village/Town/City _____ District _____ State _____ hereby declare that I belong to the _____ community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated September 08, 1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated September 08, 1993.

हस्ताक्षर /Signature

नाम/Name :

पता /Address :